

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक /रीडर/ 2021/18

दिनांक :- 24.12.2021

मुकदमा नंबर 106/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रतनाराम पुत्र श्री मकाराम 2. दौलाराम पुत्र श्री भीकाराम 3. छगनाराम पुत्र श्री भीकाराम 4. सिणगारी बेवा भीकाराम जातियान सुथार निवासी पिण्डारण तहसील पचदरा जिला बाडमेर		1. हेमसिंह पुत्र राणसिंह 2. सुखसिंह पुत्र राणसिंह 3. जमनाकंवर बेवा राणसिंह जाति राजपुत निवासी पिण्डारण। 4. रामलाल पुत्र बाबुराम जाट निवासी झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर 5. करनाराम पुत्र बाबुराम 6. संतोष बेवा बाबुराम 7. शमकु बेवा बाबुराम जाट नि० झंवर 8. मधुदेवी पत्नी देवाराम जाति जाट नि० घडोई नाडी 9. लेहरो पत्नी तुलसाराम सुथार नि० पिण्डारण 10. गजेसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत नि० पिण्डारण 11. गुलाबदेवी पत्नी मोहनराम सुथार 12. इन्द्रपुरी पुत्र हेमपुरी जाति स्वामी नि० पिण्डारण 13. गोविन्दराम पुत्र हरिराम सुथार 14. राणसिंह पुत्र सवाईसिंह राजपूत नि० पिण्डारण 15. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार

आदेश

दिनांक :- 24.12.21

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पिण्डारण पटवार हल्का कांकराला तहसील पचपदरा में मूल खसरा नंबर 62 रकबा 35 बीघा 12 विस्वा सरहद विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
पीठासीन अधिकारी,
बालोतरा



दिनांक :- 24/12/21

क्रमांक /रीडर/ 2021/19

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
पीठासीन अधिकारी,
बालोतरा